प्रकरण संख्या 18/2014 बिजिया बनाम रंगलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.11.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के संयुक्त खाते की आराजी नंबर 71 व 73 कुल किता 2 रकबा 0.96 हैक्टर भूमि ग्राम मुडासेल में स्थित है, जिस पर वादी व प्रतिवादीगण मौखिक रूप से बंटवारा कर काश्त कर रहे हैं, किन्तु भूमि का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वाद पत्र की कलम संख्या 3 में अंकित सजरे अनुसार विवादित आराजियात में वादी रंगलाल का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी बिजिया का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी मनसी, पुनिया पिता फुलिया का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी हुरजी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी मानेंग का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी शंकर का 1/6 हिस्सा है। अतः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य उपरोक्तानुसार विभाजन किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.08.3013 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 14.03.2014 को अंतिम डिक्री जारी की। उक्त प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 30.06.2014 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 15 की ओर से वकील श्री गौरव चौबीसा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 11, 12, 14 व 16 की ओर से वकील श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 17 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के अभिभाषक ने उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं दी। पटवारी हल्का से दिनांक 15.06.2014 को निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। हमने उक्त आवेदन पर मनन किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2012 को अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एकतरफा आदेश पारित कर उनका [illegible] दावा बंद कर दिया गया, जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट के [illegible] ने उन्हें नहीं दी। पूर्व में सेटलमेन्ट खाता [illegible] पिता वालिया व हेरजी पुत्र गांगजी के नाम दर्ज था, जिसके कुल खेत 13 [illegible] 26 बीघा 6 बिस्वा थे, जिसकी वंशावली अपील की कलम संख्या 3	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:44:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 18/2014 बिजिया बनाम रंगलाल

अनुसार होकर मूल पुरूष वालिया जी थे। उक्त 26 बीघा 6 बिस्वा भूमि का विभाजन सवला, मानिया पिता वालिया व हेरजी पुत्र गांगजी के मध्य हुआ जो न्यायोचित था। खाता संख्या 66 के कुल खेत 13 रकबा 26 बीघा 6 बिस्वा को भी विभाजन में शामिल कर लिया, जबकि उपरोक्त खेत विभाजन में मानिया के वारिस अपीलान्टगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्राप्त करने के अधिकारी थे, क्योंकि उक्त भूमि मानिया ने नोतोड़ निकाली थी, किन्तु मानिया की नोतोड़ निकाली भूमि का भी विभाजन कर दिया गया, जबकि उक्त भूमि में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 16 का कोई हक व अधिकार नहीं है। अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की पैत्रृक निजी भूमि को भी विभाजन में शामिल कर लिया गया, जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने से उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.08.2013 व अंतिम डिक्री दिनांक 14.03.2014 निरस्त फरमायी जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.12.2012 अनुसार अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर उनका जवाब बंद कर दिया गया तथा दिनांक 30.08.2013 को वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की एकपक्षीय साक्ष्य लेकर एवं बहस सुनकर वादी का वाद स्वीकर कर वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया, जिससे स्पष्ट है की अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.08.2013 को जारी प्रारम्भिक डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य हैं एवं तत्पश्चात् प्रारम्भिक डिक्री के आधार जारी अंतिम डिक्री भी विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.08.2013 व अंतिम डिक्री दिनांक 14.03.2014 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को जवाबदावा प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर एवं उन्हें सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.01.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:15 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
अतिरिक्त राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर